IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता–संयुक्त निदेशक बागपत,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
कार्यालय परिसर, मण्डौला विहार,
दिल्ली–सहारनपुर मार्ग,गाजियाबाद–201102
(Email:-avpmandola@gmail.com)

भारतीय मानकब्यूरोIS 15700

मानकः पथप्रदर्शकः
Bureau of Indian Standards

SQMS

पत्रांक 1420 /पी0आर0ओ0–50ई/ 32 दिनांक– 20/10/2020

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से ई–निविदा सिंगल बिड पद्वति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमन्त्रित की जाती है, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/निर्माण इकाई–01/02/03 बागपत, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्यो की मात्राए बी0ओ0क्यू0 के अनुसार होगी, जो घट या बढ सकती है। ई–प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाएं निम्नानुसार खोली जाएगी।

क0 सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु में)	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी	निविदा पद्वति	खण्ड का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मण्डोला विहार योजना,गाजियाबाद के विभिन्न सेक्टर्स के निर्माण/विकास कार्य							
1	मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था हेतु गनमैन/गार्ड की आपूर्ति का कार्य ।	9.00	0.18	6 माह	1000 + 18% जीएसटी		सिंगल बिड	नि0ख0/ नि0ई0–01, बागपत
2	सेक्टर–20 से 25 के मध्य निर्मित ट्रंक सड़कों के मरम्मत का कार्य।	5.55	0.12	2 माह	500 + 18% जीएसटी	श्रेणी–IV व ग्रुप– (i)	सिंगल बिड	
3	सेक्टर–2 में सीवर व वाटर कनेक्शन का कार्य ।	31.50	0.63	6 माह	1500 + 18% जीएसटी	श्रेणी–IV व ग्रुप– (ii)	सिंगल बिड	नि0ख0/ नि0ई0–02, बागपत
4	सेक्टर–4ए के भूखण्डों में सीवर व वाटर कनेक्शन का कार्य ।	19.00	0.38	4 माह	1500 +18% जीएसटी	श्रेणी–IV व ग्रुप– (ii)	सिंगल बिड	
5	सेक्टर–4ए में आन्तरिक सेवाओं का अनुरक्षण कार्य ।	9.00	0.10	6 माह	1000 +18% जीएसटी	श्रेणी–IV व ग्रुप– (i/ii)	सिंगल बिड	
6	सेक्टर–9,10 व 11 में ग्रीन वेल्ट में लगे पौधों का अनुरक्षण कार्य।	18.00	0.36	6 माह	1500 +18% जीएसटी	श्रेणी–IV	सिंगल बिड	
7	ट्रंक सडको की सेन्ट्रल वर्ज के पौधो का अनुरक्षण कार्य।	3.91	0.08	6 माह	500 +18% जीएसटी	श्रेणी–IV	सिंगल बिड	
8	मण्डोला विहार स्थित कार्यालय परिसर हेतु मेनपावर आपूर्ति का कार्य।	10.50	0.21	6 माह	1000 +18% जीएसटी		सिंगल बिड	नि0ख0/ नि0ई0–03, बागपत

......2.....

नियम एवं शर्तेः–

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा में उल्लेखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्न प्रकार है), जो कि निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी0 कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई–01, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डौला विहार गाजियाबाद।	Canara Bank Mandola Branch	3441101002013	CNRB0003441
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डौला विहार गाजियाबाद।	Canara Bank Mandola Branch	3441101002025	CNRB0003441
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई–03 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डौला विहार गाजियाबाद।	Canara Bank Mandola Branch	3441101002126	CNRB0003441

2. **महत्वपूर्ण तिथिया (एकल–बिड)**

क0स0	विवरण	दिनांक	समय
1	ई–निविदा प्रकाशन तिथि	21.10.2020	–
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर0टी0जी0एस0 करने की प्रारम्भ तिथि।	24.10.2020	अपरान्ह 5:00 बजे से
3	धरोहर राशि की आर0टी0जी0एस0 करने की अन्तिम तिथि	06.11.2020	अपरान्ह 6:00 बजे तक
4	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	07.11.2020	अपरान्ह 5:00 बजे से
5	बिड खोले जाने की तिथि	09.11.2020	दोपहर 12:00 बजे तक

3. निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेंगी।
4. निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारुप में रू0–100/– का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर रू0–1/– की रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
5. निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
6. सशर्त निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
7. सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो उ0प्र0 सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश् निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
9. समस्त कार्य उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल/उ0प्र0 उद्यान विभाग निगम की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
10. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाईट *www.upavp.com* एवं उ0प्र0 इलैक्ट्रोनिक कॉरपोरेशन की वेबसाईट *http://etender.up.nic.in* पर देखे जा सकते है। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाईटो को देखते रहे क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध मे कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
12. शासनादेश सं0–622/231–12–2012–2/आडिट/08–टी.सी. दिनांक 8.6.2012 के कम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वान्टिटी के विरुद्व डाले गये 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक below पर 1 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉमेन्स गारन्टी एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–निर्माण इकाई–1, 2 व 3 (बागपत), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डौला विहार गाजियाबाद के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैद्य हो, के रूप में निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर न्यूनतम् निविदादाता को खण्ड कार्यालय जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम् निविदादाता के पक्ष में स्वीकृति पर विचार नही किया जायेगा। उक्त परफोरमेन्स गारन्टी कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापस जायेगी।

......3.....

13. कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का किसी भी कार्यदिवस में निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें।
14. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
15. गार्डो की संख्या आवश्यकतानुसार घट–बढ सकती है, जिसके लिए फर्म का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
16. फर्म द्वारा ही गार्डो को वर्दी, टार्च, लाठी तथा गन अपने व्यय पर उपलब्ध करानी होगी तथा गार्ड स्वस्थ एवं निर्धारित मानकों के अनुसार उच्च कद व काठी तथा अधिकृत लाईसेन्सधारी ही तैनात करने होगें। गनमैन की गन की लाईसेन्स की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा यदि किसी प्रकार की क्षति होती है, तो उसकी प्रतिपूर्ति फर्म द्वारा की जानी होगी, जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नही होगा।
17. निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबंधी कार्यो हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के पर्यवेक्षण में कराने होंगे।
18. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
19. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
20. कार्य में प्रयुक्त सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी ऐजेन्सी से चैकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
21. ई–टैन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी के निविदादाता ही पात्र होंगे।
22. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
23. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर दरें कम (Below) मानी जायेगी।
24. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
25. कार्य के विलम्ब होने की स्थिति में, रेरा में प्राविधानित क्लॉज के अनुसार फर्म पर पेनल्टी की बाध्यता लागू होगी।
26. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रूप मे जो कि सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बन्धक हो, 07 दिनों के अंदर जमा करनी होगी। निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिनों के अन्दर ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करतें हुए जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
27. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
28. यदि निर्माण कार्य की जॉच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
29. निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
30. सिंगल ई–निविदा के साथ निविदादाता को निम्नलिखित प्रमाण–पत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे। जिनके अपलोड न किये जाने की दशा में निविदा सील कर दी जायेगी।
    अ. फर्म का पैन कार्ड।
    ब. फर्म का परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    स. फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    द. फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    य. वांछित अनुभव प्रमाण पत्र।
31. निविदा/फर्म या वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 05 वर्षो में समान प्रकृति (यथा–भवन निर्माण, जल–मल निस्तारण/जलापूर्ति,रखरखाव) के निम्नलिखित तीन कार्यों मे से एक कार्य के अनुसार (अ, ब, स, में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है।
    अ. निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
    ब. निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य का दो कार्य।
    स. निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य का तीन कार्य।

......4.....

32. शासनादेश सं0 1345/86—2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।

33. निर्माण करते समय जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

34. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वंय ही जिम्मेदार होगी। इस संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नही होगी।

20/10/2020

अधीक्षण अभियन्ता—संयुक्त निदेशक

पृसं0 1420 /उपरोक्तानुसार/ तद्दिनांक— 20/10/2020

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता—संयुक्त निदेशक/निदेशक प्रथम/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम/सप्तम/वृन्दावन/प्रोजेक्ट वृत्त,उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/कानपुर/मुरादाबाद/आगरा/गाजियाबाद/ लखनऊ।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड/निर्माण इकाई—01/02/03 बागपत, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मण्डोला विहार, गाजियाबाद।
5. समाचार—पत्र/नोटिस बोर्ड वृत्त उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद मण्डोला विहार, गाजियाबाद।

20/10/2020

अधीक्षण अभियन्ता—संयुक्त निदेशक